

To,
The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

**Subject: Submission of Action Taken Report (ATR) in compliance
with Hon'ble National Green Tribunal order dated 04.12.2023
in OA No. 483/2022, Ashish Kumar Mishra & Ors Vs State Of
Uttar Pradesh.**

Sir,

In compliance with Hon'ble National Green Tribunal order dated 04.12.2023 in OA No. 483/2022, Ashish Kumar Mishra Vs State Of Uttar Pradesh, the Action Taken Report on behalf of Principal Secretary, Urban Development Department, State Of Uttar Pradesh is being filed and annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble tribunal for kind consideration.

Encl. as above:

You Sincerely,



15.02.2024.

(Kalyan Banerjee)

Joint Secretary

Urban Development Department, GoUP

A

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 483 OF 2022

IN THE MATTER OF :-

Ashish Kumar Mishra & Ors.

...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

...Respondents


**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF URBAN DEVELOPMENT
DEPARTMENT, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER
DATED 04.12.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Action Taken Report On Behalf Of Respondent In Compliance Of The Order Dated 04.12.2023 Passed By This Hon'ble Tribunal	4-8
2.	Annexure R-1 A copy of the letters issued dated 22.12.2023, 30.01.2024 and 08.02.2024.	9-20
3.	Annexure R-2 A True Copy of Letter dated 14.02.2024 of Jal Nigam (Urban)	21-31

4.	Annexure R-3 A copy of a letter bearing number-PMU/9951/429(14)/2023 dated 14.02.2024 of the Director/ State Mission, SBM(Urban), Director of urban Local Bodies.	32-73
----	---	-------

FILED BY:


(Kalyan Banerjee)

Joint Secretary

Urban Development Department, GoUP

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 483 OF 2022

IN THE MATTER OF :-

Ashish Kumar Mishra & Ors.

...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

...Respondents

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF URBAN DEVELOPMENT
DEPARTMENT, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF THE ORDER
DATED 04.12.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

That the answering Respondent most respectfully submit as under:

1. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 04.12.2023 was pleased to issue the following directions: -

".....2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-

- i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;*
- ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;*
- iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi.*
- iv. District Magistrate, Varanasi.*

N

3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.

4. List the matter on 16.02.2024.....”

2. That the present Action taken Report is being filed in pursuance to and in compliance of the aforesaid directions passed by this Hon'ble Tribunal.

3. That It is humbly submitted that to cater grievance, the Respondent has taken steps and letters dated 22.12.2023, 30.01.2024 and 08.02.2024 were sent to the concerned authorities to take measures. A True Copies of the letters are annexed herewith and marked as **Annexure R-1**.

4. That it is humbly submitted that present flow in Asi River/Nagava Drain is about 78 MLD. From total flow of the drain approx. 50 MLD is being at treated at Ramna 50 MLD STP and rest approx 28 MLD goes down in river Ganga. To arrest and treat excess quantity of sewage of Assi/Nagava drain, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur has been approved by National Mission For Clean Ganga (NMCG), New Delhi and the tender process has also been completed with the tender awarded to M/s Enviro Infra Engineers Limited MTS JV, and the work is



set to commence soon. **A True Copy of Letter dated 14.02.2024 of Jal Nigam (Urban) is enclosed as- Annexure- 2**

5. That for the interim treatment, Bio- Remediation is being carried out by the Varanasi Municipal Corporation and approval has been granted by NMCG New Delhi for additional discharge through the advanced oxidation process and the same is proposed to be completed by 24.02.2024. **A copy of bioremediation is annexed with the report of Director, Urban Local Body which is annexed as- Annexure- 3.**

6. That it is most respectfully submitted that in river Varuna, within the Municipal Corporation limits, a total of 14 Sewage drains are being discharged. Following the expansion of the Municipal Corporation limits, one large drain with a total discharged of approximately 37 M.L.D., has been included within the Municipal Corporation boundary. Consequently a total of 15 Sewage drains are being discharged into the Varuna River.

7. That out of the aforementioned drains, 13 sewage drains have been tapped through interceptor sewer by the Irrigation Department, Varanasi, while the remaining 2 sewage drains, namely Naro Khar Nala, is partially tapped whereas Durga Nala remains untapped. A proposal for the construction of Interception and Diversion and Sewage Treatment Plant for Durga Nala 55 M.L.D. S.T.P, a DPR was formulated in the

month of April 2022 and the same was submitted for approval to N.M.C.G., New Delhi. The approval for the same is expected soon.

8. That in terms of the status of Assi/ Nagava drain in Varanasi City, the Flow of Assi/ Nagava drain is of 78 M.L.D. which is partially tapped. A copy of the status report of all the drains in Varanasi City is already annexed herewith and marked as **Annexure R- 2**.


9. That the Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) has issued a Letter of Award on 06.11.2023 vide its Letter No. 764/W-NMG/310, to M/s Enviro Infra Engineers Limited MTS JV for Survey, Investigation, Design, Build, Operate and Transfer of Interception, Diversions and Treatment Works including 02. Nos. drain tapping, Interceptor Trunk Sewer, 01 No. MPS (50MLD) 01 No. PS (06 MLD) with allied works & Raising Mains, 01 No. STP (55 MLD), facility of faecal sludge management (10 KLD) with allied works including 15 Year Operation and Maintenance of these L&D works at Varanasi, District Varanasi, UP under Narnami Gange Programme on DBOT Mode. A copy of Letter of Award dated 06.11.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2**

10. That it is submitted that a letter bearing number- PMU/9951/429(14)/2023 dated 14.02.2024 of the Director/State Mission,

SBM(Urban), Director of urban Local Bodies which comprehensively deals with issue is annexed herewith as **Annexure R- 3**.

11. That it is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to Kindly take the instant Action taken report on record.

Filed by


15.02.2024

(Kalyan Banerjee)

Joint Secretary

Urban Development Department, GoUP

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक Consultant (Judicial), N.G.T के ई-मेल से प्राप्त पत्र दिनांक 21.12.2023 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीर्घ दाखिल कराते कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

सुवदीय
22.12.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 2-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से
22.12.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

BY EMAIL/SPEEDPOST A.D**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**

Original Application No. 483/2022

LAL JI KUMAR VS DIVISIONAL FOREST OFFICER-NAINITAL.

TO,

1. **Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board**
Building No. TC-12 V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010, U.P.
Email: ms@uppcb.in (RESPONDENT NO. 01)
2. **Additional Chief Secretary/ Principal Secretary**
Urban Development Department, State of Uttar Pradesh
Email: chairmancamp@upavp.com/ commissioner@upavp.com/
secretary@upavp.com/ secretarycamp@upavp.com (RESPONDENT NO. 02)
3. **Commissioner Municipal Corporation, Varanasi**
Email: nagarnigamvns@gmail.com/ dmvar@nic.in (RESPONDENT NO. 03)
4. **District Magistrate Varanasi**
Email: dmvar@nic.in (RESPONDENT NO. 04)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 04.12.2023 (copy of order and petition is enclosed), when the Hon'ble Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

- "2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-
- i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
 - ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
 - iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi;
 - iv. District Magistrate, Varanasi.

3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.

4. List the matter on 16.02.2024."

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 16.02.2024, at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/reponse/report, on or before next date of hearing, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 04.12.2023.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 21ST December, 2023.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)

[Signature]
Consultant (Judicial), NGT



Item No.09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 483/2022

Ashish Kumar Mishra & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of U.P.

Respondent

Date of hearing: 04.12.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER****ORDER**

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, grievance has been raised that flood plain area of rivers Varuna and Assi, tributaries of river Ganga, have not been demarcated and consequently, influential people are encroaching upon their flood plain area. There is also a complaint about illegal discharged of untreated sewage in both the rivers.

2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-

- i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
- ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
- iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi;
- iv. District Magistrate, Varanasi.

3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.

4. List the matter on 16.02.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 04, 2023
Original Application No. 483/2022
JG

सेवा में, राष्ट्रीय हरित आयोग
नई दिल्ली

दिनांक - 13/4/2022

विषय :- अस्सी नदी के उद्धार, सीवर की व्यवस्था एवं सीमांकन हेतु।

महोदय,

हम काशीवासी लम्बे समय से अस्सी नदी के उद्धार हेतु "NGA" से पत्राचार कर रहे हैं परन्तु हर बार आवासन और अखबारों की विज्ञप्ति के शिवा कुछ नही मिलता कृपया इन बिन्दुओं पर ध्यान दें -

- (क) प्रभावशाली व्यक्तियों के निरन्तर कठजान करने की गतिविधि बढ़ती जा रही है।
- (ख) अस्सी नदी को अस्सी नाला कहकर दुष्प्रचारित किया जा रहा है।
- (ग) नगर-निगम इसका वाराणसी नदी का सीमांकन करने में अलपल रहा है।
- (घ) शहर का मल-जल सीवे तौर पर नदी में मिला दिया जाता है।
- (ङ) वाराणसी का ऐतिहासिक नाम अस्सी और वरुणा के मध्य स्थल के कारण ही पड़ा है "वरुणा + अस्सी = वाराणसी" के कारण ही 13km का जल गंगा में डाले जाते हैं। कृपया इसे जीवनदान देकर हम काशीवासियों को अनुमोदित करें।

धन्यवाद

698/4/2022

20/4/22

भवदीय

आशीष कुमार मिश्रा

Ashish (9026122159)

R. P. Singh

9616213613

Ld.R.G.

19-04-2022

L.P.

NATIONAL GREEN TRIBUNE New Delhi Branch	
19 APR 2022	
Dairy No.	1401

1. Tanish K. Yadav
2. Vishal Siwani
3. Nikil Yadav
4. Ankit Singh
5. Aditi Parashas
6. Jyoti Singh
7. Shiwanshi
8. Shradha Singh
9. Shweta Maurya
10. Alka Singh
11. Bagya Singh
12. Pashpanjali Gupta
13. Teerpi Verma
14. Pratima Kumari
15. Mohit Pandey
16. Parikshit Bhatt
17. Harsh Mishra
18. Prashant K. Gupta
19. Sunya Prakash Tiwari
20. Anshu Tiwari
21. Prashant Singh
22. Migand Shekhar
23. Raghvendra Singh
24. K.P. Nath
25. Anjali Mishra
26. Harini Mishra
27. Ranki Mishra



शिवान नाथ

शिवान

शिवान नाथ

शिवान

- (28) Akash Singh
- (29) Raghav Chaturvedi
- (30) Shashank Singh
- (31) Abhishek Kumar
- (32) R. K. Singh
- (33) Prashant Singh
- (34) Shiv
- (35) Prafulla Jaman
- (36) Shivam Singh
- (37) Vahny Binda
- (38) Lucky Yadav
- (39) Natya
- (40) अनिता
- (41) Sumit
- (42) Anshu
- (43) Ushakant
- (44) fs
- (45) अनुरा
- (46) Harsh
- (47) Singh
- (48) ममता सिंह

शिवान कुमार

Shiv

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2024


विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 29.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत है।


2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के उक्त पत्र दिनांक 29.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

ANKIT VERMA
STANDING COUNSEL STATE OF UTTAR PRADESH

Dated- 29.01.2024

To,
The Principal Secretary
Urban Development Department
Government of Uttar Pradesh

Subject- Original Application No. 483/2022 titled as Ashish Kumar Mihra & Ors v/s State of UP before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Dear Sir,

The grievance in the abovementioned Original Application is that flood plain area of rivers Varuna and Assi, tributaries of river Ganga, have not been demarcated and consequently, influential people are encroaching upon their flood plain area. There is also a complaint about illegal discharged of untreated sewage in both the rivers.

The Hon'ble Tribunal vide its order dated 04.12.2023 while adjudicating the issue had directed the issuance of notices upon the State of UP and has impleaded the following respondents. The order dated 04.12.203 is being reproduced herein:-

.....Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent: - i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board; ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP; iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi; iv. District Magistrate, Varanasi.

Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing. 4. List the matter on 16.02.2024.

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST NEW DELHI-110013
Mob- +91 999 080 4440 Email - ankit.scngtup@gmail.com

Ankit Verma

ANKIT VERMA
STANDING COUNSEL STATE OF UTTAR PRADESH

In light of the aforesaid circumstances it is advisable that necessary instructions may be given to the concerned officials who may contact the office of the undersigned before the next date of hearing so that report/response as directed by the Hon'ble Tribunal may be prepared and filed.

Further it is also requested that a requisition may be sent from your good offices to the Law Department of the State Government for issuance of contest order and vakaltnama in the aforesaid matter in my name, which may be issued before the next date of hearing.

Warm Regards

Yours Sincerely
Ankit Verma
Ankit Verma

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST NEW DELHI-110013
Mob- +91 999 080 4440 Email - ankit.scngtup@gmail.com

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-5


लखनऊ: दिनांक 08 फरवरी, 2024

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-एन0जी0टी0-46/नौ-5-2024-68रिट/2023 दिनांक 22.12.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 22.12.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या/ए0टी0आर0 तत्काल दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


संलग्नक: यथोक्त।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
- 2-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Item No.09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 483/2022

Ashish Kumar Mishra & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of U.P.

Respondent

Date of hearing: 04.12.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, grievance has been raised that flood plain area of rivers Varuna and Assi, tributaries of river Ganga, have not been demarcated and consequently, influential people are encroaching upon their flood plain area. There is also a complaint about illegal discharged of untreated sewage in both the rivers.

2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-

- i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
- ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
- iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi;
- iv. District Magistrate, Varanasi.

3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.

4. List the matter on 16.02.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 04, 2023
Original Application No. 483/2022
JG



94

ANNEXURE R-2

E-mail- gppupml@gmail.com

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), भगवानपुर-वाराणसी

पत्रांक 301 / मिस-08 / 15 दिनांक 14/02/2024
सेवा में,मुख्य अभियन्ता (नागर),
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 250/मिस-8/09 दिनांक 12.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्रांक 57/एन०जी०टी०/01 दिनांक 20.01.2024 द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम (नगरीय) एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त आख्या संलग्न कर प्रेषित किया गया था।

आख्या की संलग्नक में आशिक संशोधन के उपरान्त आख्या संलग्न कर आपके अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस० के० रंजन)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (प्रया०क्ष०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), प्रयागराज।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी।
5. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

/
अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
भगवानपुर, वाराणसी-221005

पत्रांक

57 / 2024 / 101

दिनांक 20/01/2024

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक 2083/NGT OA No. 483/2022/2023-24 दिनांक 16.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम (नगरीय) एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त आख्या संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी।

परियोजना प्रबन्धक

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या।

असि नदी (नाला)

असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित हो रहा है, जिसका वर्तमान डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा प्रा० लि०, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है एवं कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्तरिम ट्रीटमेंट हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है एवं एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा भी अतिरिक्त डिस्चार्ज हेतु एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा शोधन व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है, कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 25 फरवरी, 2024 तक क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।


(संजय कुमार रंजन)
अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड प्रथम
उ० प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी
Executive Engineer,
Construction Division-I,
U. P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi


(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबंधक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी

Signed,
U.P.

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या।

वरुणा नदी

वरुणा नदी में नगर निगम सीमा में कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे थे। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरांत 01 नग बड़ा नाला, जिसका कुल डिस्चार्ज लगभग 37 एम०एल०डी० है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हो गया है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। उपरोक्त नालों में से 13 नग नाले बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टेपड किये गये हैं एवं अवशेष 02 नग नाले यथा नरोखर नाला आंशिक टेपड है एवं दुर्गा नाला अनटेपड है। दुर्गा नाला के शोधन हेतु 55 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के निर्माण हेतु डी०पी०आर० माह अप्रैल, 2022 में विरचित कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। नालों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।



(संजय कुमार रंजन)
अविशासी अभियंता
निर्माण खण्ड प्रथम
उ० प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी
Executive Engineer,
Construction Division-I,
U. P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi


(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबंधक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी


U.P. 1

Status of drains in Varanasi City

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD) in Yr 2017	Tapped (Y/N)	Name of STP with installed capacity	Remarks
Ganga River					
1	Assi/Nagava Drain	78.0	Partilly Tapped	50 MLD STP Ramana/Nagwa MPS	<p>Present flow in Assi/Nagava drain is about 78 MLD. From total flow of the drain approx. 50 MLD is being treated at Ramna 50 MLD STP and rest approx. 28 MLD goes down in River Ganga. To arrest and treat excess quantity of sewage of Assi/Nagava drain, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur has been approved by NMCG. Bidding process has been completed, letter of award has been issued and agreement shall be signed shortly and work likely be started thereafter and will take about 02 years time for completion. However, as interim measure, bioremediation is being carried out by Nagar Nigam, Varanasi. In addition to this, NMCG has also approved project for treatment of excess quantity of flow through Assi drain by Advance Oxidation Process till the work of construction of 55 MLD STP is completed. Work is under progress and the plant shall become operational by February, 2024.</p> <p>Interception and diversion of Nakkha drain is proposed under above mentioned 55 MLD STP at Bhagwanpur. For interim measure bioremediation is being carried out by Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi.</p> <p>Samne Ghat drain is tapped and diverted through Assi interceptor sewer pipe line. Overflow is occurring due to choking of this sewer line. Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi has been informed for cleaning of this pipe line. Desilting is in progress and Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi is conducting bioremediation of this drain till desilting is completed.</p>
2	Nakkha Drain	5.0	Partilly Tapped		
3	Samneghat Drain	1.17	Partilly Tapped		
4	Shivala Drain	5.00	Y	80 MLD STP Dinapur/Konia MPS	
5	Harishchandraghat Drain	2.50	Y		
6	Mansarover Ghat Drain	4.50	Y		
7	Pandeyghat Drain	30.00	Y		
8	Dr. R. P. Ghat Drain		Y		
9	Meerghat Drain		Y		
10	Lalitaghath Drain	4.50	Y		
11	Jaleshanghat Drain		Y		
12	Manikarnikaghat Drain		Y		
13	Sankthaghath Drain	1.50	Y		
14	Mehtaghath Drain		Y		
15	Ramghath Drain		Y		
16	Panchgangaghat Drain		Y		



Executive Engineer,
Construction Division-1,
U. P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi

17	Bramhaghat Drain		Y		
18	Lalghat Drain		Y		
19	Trilochanghat Drain	4.50	Y		
20	Teliya Drain	2.80	Y		
21	Bhainsasur Drain	0.40	Y		
22	Rajghat Drain	0.20	Y		
23	Rajghat Outfall (Shahi Nala)	118.0	Tapped	80 MLD STP Dinapur / 140 MLD STP Dinapur	
24	Rambhag Ghat Drain	8.2	Y	10 MLD STP Ramnagar	
25	Balua Ghat Drain	0.13	Y		
26	Shakti Ghat Drain	0.4	Y		
27	Salotri Ghat Drain	0.34	Y		
28	Hanuman Ghat Drain	0.09	Y		
29	Sujabad Drain	4.5	N	-	Newly added in Nagar Nigam Area. Proposal sent for approval under AMRUT 2.0 program
Varuna River					
30	Phulwariya Drain	7.60	Y	140 MLD STP Dinapur/ Chauka Ghat MPS	tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD STP at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
31	Sadar Bazar Drain	2.00	Y		
32	Raja Bazar Drain	0.10	Y		
33	TeliyaBag Drain	18.00	Y		
34	Nakkhighat Drain	0.10	Y		
35	Narokhar Drain	7.50	Partially Tapped	120 MLD STP Goithaha	For interim measure, tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
36	Nai Basti Drain	3.00	Y		
37	Sarang Talab Drain	1.50	Y	140 MLD STP Dinapur / 120 MLD STP Goithaha	
38	Central Jail Drain	6.50	Y		
39	Orderly Bazar Drain	7.00	Y		
40	Chamrautha Drain	1.50	N		
41	Khajuri Colony Drain	1.50	Y		
42	Banaras Drain No.-5	1.00	Y		
43	Hukulganj Drain	2.50	Y		
44	Durga Drain	37.00	N		DPR for interception, diversion and construction of STP of capacity 55 MLD for treatment of Durga drain has been sent to National Mission For Clean Ganga (NMCG) in April, 2022 for approval. Approval is awaited.


 Executive Engineer,
 Construction Division-1,
 U. P. Jal Nigam (Urban)
 Varanasi

वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे नालों का विवरण

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD) in Yr 2017	Tapped (Y/N)	Name of STP with Installed capacity	Remarks
1	Phulwariya Drain	7.60	Y	140 MLD STP Dinapur/ Chauka Ghat MPS	tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD STP at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
2	Sadar Bazar Drain	2.00	Y		
3	Raja Bazar Drain	0.10	Y		
4	TeliyaBag Drain	18.00	Y		
5	Nakkhighat Drain	0.10	Y		
6	Narokhar Drain	7.50	Partially Tapped	120 MLD STP Goithaha	For interim measure, tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
7	Nai Basti Drain	3.00	Y		
8	Sarang Talab Drain	1.50	Y	140 MLD STP Dinapur / 120 MLD STP Goithaha	
9	Central Jail Drain	6.50	Y		
10	Orderly Bazar Drain	7.00	Y		
11	Chamrautha Drain	1.50	N		
12	Khajuri Colony Drain	1.50	Y		
13	Banaras Drain No.-5	1.00	Y		
14	Hukulganj Drain	2.50	Y		
15	Durga Drain	37.00	N		DPR for interception, diversion and construction of STP of capacity 55 MLD for treatment of Durga drain has been sent to National Mission For Clean Ganga (NMCG) in April, 2022 for approval. Approval is awaited.


 Executive Engineer,
 Construction Division-1,
 U. P. Jal Nigam (Urban)
 Varanasi

UTTAR PRADESH JAL NIGAM (Rural)

Office of the Superintending Engineer, Circle Office, Madhopur, Sagra, Varanasi

Letter No.

764 / W-NMG/ 310

Date 06-11-2023

Letter of Award

To,

M/s Enviro Infra Engineers Limited MTS JV,
201, 2nd Floor, RG Metro Arcade, Rohini Sector II,
Delhi- 110085

Subject: Letter of Award (LOA) for Survey, Investigation, Design, Build, Operate and Transfer of Interception, Diversion and Treatment Works including 02 Nos. Drain Tapping, Interceptor Trunk Sewer, 01 No. MPS (50 MLD), 01 No. IPS (06 MLD) with allied works & Rising Mains, 01 No. STP (55 MLD), facility for faecal sludge management (10 KLD) with allied works including 15 Year Operation and Maintenance of These I&D Works at Varanasi, District Varanasi, U.P. Under Namami Gange Programme on DBOT Mode.

Dear Sir,

This is in reference to your bid dated 06-03-2023, submitted in response to Notice Inviting Tender (NIT No.: 32/W-NMG/08 Dated- 18-01-2023) for the implementation of the above-mentioned project.

1. We are pleased to inform you that your bid, including financial proposal (enclosed) of INR 1,51,55,81,937.50, say INR 1,51,55,81,937.00 only (INR One Hundred Fifty One Crore Fifty Five Lakhs Eighty One Thousand Nine Hundred Thirty Seven only) including all taxes except GST (shall be paid separately as applicable) comprising of (Capital cost INR 86,46,20,000.00, O&M cost INR 650961937.00) as the bid price for "Survey, Investigation, Design, Build, Operate and Transfer of Interception, Diversion and Treatment Works including 02 Nos. Drain Tapping, Interceptor Trunk Sewer, 01 No. MPS (50 MLD), 01 No. IPS (06 MLD) with allied works & Rising Mains, 01 No. STP (55 MLD), facility for faecal sludge management (10 KLD) with allied works including 15 Year Operation and Maintenance of These I&D Works at Varanasi, District Varanasi, U.P. Under Namami Gange Programme on DBOT Mode" has been accepted by the competent authority and you have been identified as the Selected Bidder for the project, subject to fulfilment of following terms and conditions--
 - a) The Selected Bidder shall submit all necessary documents prior to signing of the Contract Agreement.
 - b) Payable price is INR 1,51,55,81,937.00 subject to completion of works mentioned in scope of works. Price is inclusive of all taxes except G.S.T. which will be paid extra as applicable.
 - c) The Bidder shall be responsible for the scope of work defined in tender document inter alia the subsequent modifications provided via pre-bid replies and addendums / Corrigendums.
 - d) The Bidder shall construct the STP on same technology as proposed in the PQ cum technical bid.
 - e) The Bidder shall implement the Project as per the terms and conditions of the Bid Document.
2. Within 15 days from the issuance of the LOA, the Selected Bidder is required to sign the Contract Agreement.
3. The selected bidder is required to submit the Performance securities in accordance of clause 6.5 of tender document before signing of Contract Agreement as follows-

Sr. No.	Description	Amount (INR)	Validity
1	Performance security@3% of Bid Project Cost	4,54,67,458.00	The Performance Securities shall remain valid for the period for

Page 1 of 2

			design and build plus the first 3 years of O&M after completion of construction work.
2	EHS Performance security@1% of Bid Project Cost	1,51,55,819.00	Shall remain valid for the entire term of the Contract Agreement. However, additional performance security may be released @7.5 % every year commencing after successful completion of 03 years of O&M period post successful commissioning and balance amount after completion of contract period.
3	Additional Performance Security due to abnormally low price bid	20,00,00,000.00	
4	Total- Rs.26,06,23,277.00 (INR Twenty Six Crore Six Lakh Twenty Three Thousand Two Hundred and Seventy Seven only)		

These securities will be issued in favor of "Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural)" represented by Superintending Engineer (Circle Office), Sigra, Varanasi payable at Varanasi in the format set out in Annexure A Part-d and Annexure A Part-d1 of the tender document (Govt. rules and regulations apply regarding performance security, if any)

4. No Price escalation is admissible on any account whatsoever.
5. If you, the Selected Bidder, fail to comply with the requirements of paragraph 2 or 3 above or it is subsequently discovered that you made any material misrepresentation or gave any materially incorrect or false information, then U.P. Jal Nigam (Rural) shall have the right to disqualify you, revoke this LOA and forfeit your Bid Security.
6. Bidder has to submit Non-Judicial Stamp paper in 02 Nos. of Rs. 500.00 each, for Agreement.
7. In no case you will be allowed to use land more than quoted by you in your bid i.e. 10500.00 Mt² failing which the Jal Nigam shall have the right to disqualify you, revoke this LOA and forfeit your Bid Security
8. In addition of the above, you the selected bidder, shall comply with all other requirements as set out in the tender document and for all purpose, the conditions of the tender document may be read as a part of this LOA and in case of any contradiction, the terms set forth in the tender document shall prevail.
9. You are henceforth requested to do the needful as set out in this LOA to facilitate the signing of the Contract Agreement for the implementation of the Project.

Annexed:- Financial Proposal.

Regards,


(Visheshwar Prasad)
Superintending Engineer

Endorsement No. and Date as above.

Copy to following for information and necessary action:-

1. Director General, NMCG, New Delhi.
2. Executive Director (Projects), NMCG, New Delhi.
3. Project Director, SMCG UP, Lucknow.
4. Managing Director, U.P. Jal Nigam (Rural), Lucknow.
5. Chief Engineer (Ganga), U.P. Jal Nigam (Rural), Lucknow in reference of their letter no. 406/012-0273 (Assi)/2023 dated 02-11-2023.
6. Chief Engineer (VNS Zone), U.P. Jal Nigam (Rural), Varanasi.
7. Superintending Engineer, Circle Office (E/M), UP Jal Nigam (Rural), Varanasi.
8. Project Manager, Ganga Pollution Prevention Unit, UP Jal Nigam (Rural), Varanasi.
9. Executive Engineer, Division Office (E/M), UP Jal Nigam (Rural), Varanasi.


Superintending Engineer

40	Unmetered Energy Consumption for S.M.D. P/B at Natick for the year month after COC (Value should be entered in cell with PAB to 2,15,1984) as provided at the - 47)						
41	From the year 1981						
42	Power Charge for S.M.D. P/B at Natick (Value for S.M.D. P/B Consumption for 1981 & 1982) (Not to be filed by the Bidder)	111217.54	1981	1982	1981	1982	1981
Total in Figures					1781581937.50		One One Seven Eight Eight Nine One Thousand One Hundred & Eighty Seven and Five Cents
Desired Rate in Words		BID One Hundred Seventy Six One Seventy Five Eight Eight Nine Thousand One Hundred & Eighty Seven and Five Cents Only					

ई-मेल/समयबद्ध/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग-5,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

संख्या-पी०एम०यू०/९९५१/५२९०५/२०२३

लखनऊ: दिनांक १५ फरवरी, २०२४

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-४८३/२०२२ Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०४.१२.२०२३ के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-५, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन०जी०टी०-४६/नौ-५-२०२४-६८रिट/२०२३ दिनांक ३० जनवरी, २०२४ एवं पत्र संख्या-४६(१)/नौ-५-२०२४-६८रिट/२०२३ दिनांक ०८ फरवरी २०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-४८३/२०२२ Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०४.१२.२०२३ के अनुपालन में श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उ०प्र० के पत्र दिनांक २९.०१.२०२४ में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम मिशन निदेशालय के पत्र संख्या-पी०एम०यू०/९५२५/४२९(१४)/२०२३ दिनांक २९ दिसम्बर २०२३ एवं संख्या-पी०एम०यू०/९९०५/४२९(१४)/२०२३, दिनांक ०५ फरवरी २०२३ द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-४८३/२०२२ Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०४.१२.२०२३ के अनुपालन में एन०जी०टी०, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी को पत्र निर्गत किया गया था। उक्त के आलोक में नगर निगम वाराणसी द्वारा ई-मेल के माध्यम से दिनांक १३ फरवरी २०२४ को आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः नगर निगम वाराणसी द्वारा ई-मेल के माध्यम दिनांक १३ फरवरी २०२४ को प्रेषित आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,




(डॉ० नितिन बंसल)

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

- १-प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-५, उ०प्र० शासन, लखनऊ उ०प्र०।
- २-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
- ३-जिलाधिकारी, वाराणसी।
- ४-गार्ड फाईल।



(डॉ० नितिन बंसल)

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 08 फरवरी, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-एन0जी0टी0-46/नौ-5-2024-68रिट/2023 दिनांक 22.12.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 22.12.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या/ए0टी0आर0 तत्काल दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Add (Dir) Aris andeep

कृपया निदेशाधीन आख्या

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-श्री भेंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
- 2-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

Shri Sandeep, Env Exp

4
09/02/24

आज्ञा से
08.02.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

आज्ञा से
08.02.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Item No.09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 483/2022

Ashish Kumar Mishra & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of U.P.

Respondent

Date of hearing: 04.12.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, grievance has been raised that flood plain area of rivers Varuna and Assi, tributaries of river Ganga, have not been demarcated and consequently, influential people are encroaching upon their flood plain area. There is also a complaint about illegal discharged of untreated sewage in both the rivers.

2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-

- i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
- ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
- iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi;
- iv. District Magistrate, Varanasi.

3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.

4. List the matter on 16.02.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 04, 2023
Original Application No. 483/2022
JG

Fwd: Regarding submission of compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam, in compliance of to order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P.

Varanasi Municipal Commissioner <mcvns1@gmail.com>

Tue, Feb 13, 2024 at 2:28 PM

To: "Swachh Bharat Mission (Urban) Directorate Uttar Pradesh" <sbmdlbup@gmail.com>, sbmstatepmu@gmail.com

----- Forwarded message -----

From: Varanasi Municipal Commissioner <mcvns1@gmail.com>

Date: Tue, Feb 13, 2024 at 2:25 PM

Subject: Regarding submission of compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam, in compliance of to order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P.

To: <judicial-ngt@gov.in>

Sir,
P.F.A.

--


Municipal Commissioner, Varanasi,

Main Building, Varanasi Nagar Nigam,
Sagra, Varanasi-221010, UP, INDIA.

e-mail: mcvns1@gmail.com Website: www.nnvns.org.in

Contact no. 0542-2221711, Fax no. 0542-2221702

Mobile: (+91) 7800000900



Sender notified by
Mailtrack

--

Municipal Commissioner, Varanasi,

Main Building, Varanasi Nagar Nigam,
Sagra, Varanasi-221010, UP, INDIA.

e-mail: mcvns1@gmail.com Website: www.nnvns.org.in

Contact no. 0542-2221711, Fax no. 0542-2221702

Mobile: (+91) 7800000900



Sender notified by
Mailtrack

 483 2022 Ashish Kumar - converted1.pdf
23572K

la

प्रेषक,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी।

संख्या-पी०एम०यू/११०५/४२१०४/२०२३

लखनऊ: दिनांक ०५ फरवरी, 2024

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन०जी०टी०-46 / नौ-5-2024-68रिट/2023 दिनांक 30 जनवरी, 2024 के साथ संलग्न श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उ०प्र० के पत्र दिनांक 29.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उ०प्र० के पत्र दिनांक 29.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-एन०जी०टी० 311/नौ-5-2023-68रिट/2023 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के क्रम में मिशन निदेशालय के पत्र संख्या-पी०एम०यू/9525/429(14)/2023 दिनांक 29 दिसम्बर-2023 द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में एन०जी०टी०, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन व मिशन निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र निर्गत किया गया था। परन्तु उक्त प्रकरण में कार्यवाही से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उ०प्र० के पत्र दिनांक 29.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन व मिशन निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराने कष्ट करें।

व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० नितिन बंसल)

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन, लखनऊ उ०प्र०।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

(डॉ० नितिन बंसल)

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्या: एन0जी0टी0-46 / नौ-5-2024-68रिट / 2023

प्रेमक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1347 सेना मे,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2024

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 29.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के उक्त पत्र दिनांक 29.01.2024 में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करते हुए प्रसंगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

DC 9372
Addl. Secy / Environment
Changin

श्री अंकित वर्मा, अधिवक्ता

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त 01.02.24

प्रतिलिपि: श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Shri Sandeep Chauhan,

Env. Exp.

01/02/24

कल्याण बनर्जी
30.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

आज्ञा से
31.01.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी।

संख्या-पी०एम०यू०/१५२५/५२१(१५)/२०२३

लखनऊ: दिनांक १९ दिसम्बर २०२३

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-४८३/२०२२ Ashish Kumar Mishra & Ors
व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०४.१२.२०२३ के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-५, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन०जी०टी०
३११/नौ-५-२०२३-६८८रिट/२०२३ दिनांक २२ दिसम्बर, २०२३ के साथ संलग्न Consultant (Judicial), NGT
के ई-मेल द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक २१.१२.२०२३ जो आपको भी सम्बोधित है (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण
करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए०
संख्या-४८३/२०२२ Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०४.१२.२०२३ के अनुपालन
में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक
१६.०२.२०२४ को नियत है।

उक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-४८३/२०२२ Ashish
Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०४.१२.२०२३ के अनुपालन में मा० एन०जी०टी०, नई
दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन व मिशन
निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराने कष्ट करें।

व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० नितिन बंसल)

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-५ उ०प्र० शासन, लखनऊ उ०प्र०।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

(डॉ० नितिन बंसल)

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या: एन0जी0टी0-311 / नौ-5-2023-68रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक Consultant (Judicial), N.G.T के ई-मेल से प्राप्त पत्र दिनांक 21.12.2023 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 18.02.2024 को नियत है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या यथाशीघ्र दाखिल कराते कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

संवदीप
22.12.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 2-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

DLB02
अप. नि. /
श्री संदीप. एम. ए. /

श्री संदीप. एम. ए. /

22.12.23

श्री संदीप. एम. ए. /

27/12/23

आज्ञा से
22.12.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001


Sub: Regarding submission of compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam, in compliance of to order dated 04.12.2023 in Origanal Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 04.12.2023 in Origanal Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P. The compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action. List the matter for further consideration on dt. 16.02.2024

Encl. As Above

Yours faithfully


(Akshat Verma)

Municipal Commissioner
Varanasi

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001

Sub: **Regarding submission of compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam, in compliance of to order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P. The compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action. List the matter for further consideration on dt. 16.02.2024

Encl. As Above

Yours faithfully


(Akshat Verma)
Municipal Commissioner
Varanasi

श्री० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में नगर निगम, वाराणसी की आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 04.12.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, grievance has been raised that flood plain area of rivers Varuna and Assi, tributaries of river Ganga, have not been demarcated and consequently, influential people are encroaching upon their flood plain area. There is also a complaint about illegal discharged of untreated sewage in both the rivers.
2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-
 - i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
 - ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
 - iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi;
 - iv. District Magistrate, Varanasi.
3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.
4. List for further consideration on 16.02.2024."

उपरोक्त आदेश के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत् है:-

सीवेज मैनेजमेंट

अस्सी नदी

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), वाराणसी द्वारा दी गयी संयुक्त आख्यानुसार असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित होता है। वर्तमान में कुल डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी०,

नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत मेसर्स इन्वायर्स इन्फ्रा प्रा० लि०, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है एवं कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्तरिम ट्रीटमेंट हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा सीवेज का बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है एवं एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा भी अतिरिक्त डिस्चार्ज हेतु "एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस" द्वारा शोधन करने की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है, कार्य प्रगति पर है, तथा दिनांक 25 फरवरी, 2024 तक कियाशील किया जाना प्रस्तावित है। उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), वाराणसी की संयुक्त आख्या संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

वरुणा नदी

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), वाराणसी द्वारा दी गयी संयुक्त आख्यानुसार वरुणा नदी में नगर निगम सीमा में कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे थे। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरांत 01 नग बड़ा नाला (दुर्गा ड्रेन), जिसका कुल डिस्चार्ज लगभग 37 एम०एल०डी० है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हो गया है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। उपरोक्त नालों में से 13 नग नाले बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टैपड किये गये हैं एवं अवशेष 02 नग नाले यथा नरोखर नाला आंशिक टैपड है एवं दुर्गा नाला अनटैपड है। दुर्गा नाला के शोधन हेतु 55 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के निर्माण हेतु डी०पी०आर० माह अप्रैल, 2022 में तैयारकर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। नालों का विस्तृत विवरण संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०एन० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा दिनांक 01.07.2023 को सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी थी। बैठक में अवगत कराया गया कि वरुणा नदी के किनारे नालों की टैपिंग का कार्य सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी की कार्यदायी संस्था यू०पी० प्रॉजेक्ट कारपोरेशन लि० द्वारा किया गया है तथा लगभग सभी नालों के माध्यम से पार्शियल अनट्रीटेड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। वरुणा नदी के किनारे स्थित नालों को पूरी तरह से टैपड नहीं होने के कारण वरुणा नदी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा वरुणा नदी के किनारे करायी गयी टैपिंग का कार्य जन उपयोगी सिद्धकर नहीं हो रही है। सिंचाई विभाग एवं उ० प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) द्वारा नाले की सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्ड ओवर

हीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रकरण का निस्तारण शासन स्तर से कराये जाने और डिजाईन फाल्ट व वाराणसी नगर निगम को हैण्ड ओवर करने के सम्बंध में जाँच हेतु संस्तुति सहित आख्या मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उ० प्र० शासन, लखनऊ को जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या 1390/प्र०नि०बो०/2023-24, दिनांक 04 जुलाई, 2023 द्वारा प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 04.07.2023 की प्रति संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी महोदय द्वारा मा० एन०जी०टी०के आदेश संख्या ओ०एन० 483/2022 के अनुपालन के क्रम में कार्यालय पत्रांक-1/2220/केन्द्रीय/2023-24, दिनांक-03.01.2024 (संलग्नक-4) के माध्यम से अस्सी नदी एवं वरूणा नदी के सीमा चिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन आदि कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता बंधी प्रखण्ड सिचाई विभाग तथा नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेंट के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम (शहरी) को नोडल अधिकारी नामित करते हुए दिनांक-16.01.2024 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। दिनांक-16.01.2024 तक अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा में पुनः अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय पत्रांक-639/अ०न०आ०-आर/2023-24, दिनांक-29.01.2024 को अधिशासी अभियन्ता बंधी प्रखण्ड सिचाई विभाग एवं पत्रांक-640/अ०न०आ०-आर/2023-24, दिनांक-29.01.2024 को अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (शहरी) को पत्र प्रेषित किया गया। क्रमशः संलग्नक-5 व 6 के रूप में है। तत्सम्बंध में उक्त दोनों विभाग से आख्या अप्राप्त है।

सीमांकन एवं अतिक्रमण (Demarcation and Encroachment)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०एन० नं० 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 तथा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश संख्या 2179/एन०जी०टी० ओ०ए० नं० 367/2022/2023-24, दिनांक 08.02.2024 के द्वारा गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरूणा नदी एवं असि नदी के अवैध अतिक्रमण का सीमांकन किये जाने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किया गया है:-

SI
seen

SI


SI

- उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असि नदी एवं वरूणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
 3. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा फलड प्लेन जोन का पिलर डिमार्केशन किया जाये।

जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश संख्या 2179/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 367/2022/2023-24, दिनांक 08.02.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी के नेतृत्व में टीम द्वारा असि नदी/नाला के किनारे ग्राम-कंचनपुर, चितईपुर, कर्माजीतपुर, करौंदी, सरायनन्दन, भदौनी एवं नगवाँ क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर चिन्हांकन किया गया, जिसकी आख्या संलग्नक-7 के रूप में संलग्न है।

जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु सं0-2 में दिये गये निर्देश के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी की टीम द्वारा चिन्हांकित किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम, वाराणसी द्वारा दिनांक 08.02.2024 को तोड़कर हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने से पूर्व एवं पश्चात् के फोटोग्राफ्स संलग्नक-8 के रूप में संलग्न है।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में नगर निगम, वाराणसी की तरफ से रिसपांस रिपोर्ट मा0 अधिकरण के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


सचिव
जलकल विभाग, नगर निगम
वाराणसी


महाप्रबन्धक
जलकल विभाग, नगर निगम
वाराणसी
(SNACA)
अमित शुक्ला
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी


राजीव कुमार राय
अवर नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी


नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी



Item No.09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 483/2022

Ashish Kumar Mishra & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of U.P.

Respondent

Date of hearing: 04.12.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, grievance has been raised that flood plain area of rivers Varuna and Assi, tributaries of river Ganga, have not been demarcated and consequently, influential people are encroaching upon their flood plain area. There is also a complaint about illegal discharged of untreated sewage in both the rivers.

2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-

- i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
- ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
- iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi;
- iv. District Magistrate, Varanasi.

3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.
4. List the matter on 16.02.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 04, 2023
Original Application No. 483/2022
JG



JALKAL VIBHAG, NAGAR NIGAM, VARANASI

Assi/Nagwa drain-

Present flow in this drain is around 78 MLD. 50 MLD is being treated at Ramna 50 MLD STP and balance 28 MLD goes down into River Ganga. To arrest this sewage, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur is approved by National Mission For Clean Ganga (NMCG). Bidding process is completed, letter of award has been issued and agreement shall be signed by February 10, 2024 and work will start from March 01, 2024 and will take 02 years time to complete as per reported by Mr Ashish Kumar Singh, Project Manager, Ganga pollution prevention Unit U.P. Jal Nigam (Rural). For interim measure, bioremediation process is being carried out by Jalkal Vibhag, Nagar Nigam, Varanasi at three points (Saket Nagar, Sankat Mochan Durgakund and Ravidas Park) along the drain.

Nakkha drain-

Interception and diversion of this drain is proposed under above mentioned 55 MLD STP at Bhagwanpur as per reported by Mr Ashish Kumar Singh, Project Manager Ganga pollution prevention Unit U.P. Jal Nigam (Rural). For interim measure, bioremediation process is being carried out at two points along the drain by Jalkal Vibhag, Nagar Nigam, Varanasi.

Samne Ghat drain-

This drain is tapped and diverted through assi interceptor sewer pipe line. Because of being partially choked sewer pipe line overflow is occurring and flowing down into River Ganga. For redressal of this issue disilting work of Assi interceptor sewer pipe line is ongoing and soon it will be completed. For interim measure bioremediation process is being carried out at two points along the flow (going down to River Ganga) by jalkal vibhag nagar Nigam Varanasi.

(O.P. Singh)
Secretary

Jalkal Vibhag, Nagar Nigam
Varanasi

(Vijay Narayan Maurya)
General Manager

Jalkal Vibhag, Nagar Nigam
Varanasi

Assi/Nagwa drain -

Present flow in this drain is around 78 MLD. 50 MLD is being treated at Ramna 50 MLD STP and balance 28 MLD goes down into River Ganga. To arrest this sewage, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur is approved by National Mission For Clean Ganga (NMCG). Bidding process is complete, letter of award has been issued and agreement shall be signed by February 10, 2024 and work will start from March 01, 2024 and will take 02 years time to complete. However, for interim measure, bioremediation is being carried out by Varanasi Nagar Nigam. In addition to this, NMCG has also approved project for treatment this additional flow through Advance Oxidation Process till the work of construction of STP is completed, work is in progress and the plant shall become operational by February, 2024.

Nakkha drain-

Interception and diversion of this drain is proposed under above mentioned 55 MLD STP at Bhagwanpur. For interim measure bioremediation is being carried out by Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi.

Samne Ghat drain-


This drain is tapped and diverted through Assi interceptor sewer pipe line. Overflow is occurring due to choking of this sewer line. Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi has been informed for cleaning of this pipe line (letter annexed). Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi is conducted bioremediation of this drain till desilting of the pipe line is completed.

07/02/2024
 (Ashish Kumar Singh)
 Project Manager
 Ganga Pollution Prevention Unit,
 U.P. Jal Nigam (Rural)

वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे नालों का विवरण

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD) in Yr 2017	Tapped (Y/N)	Name of STP with Installed capacity	Remarks
1	Phulwariya Drain	7.60	Y	140 MLD STP Dinapur/ Chauka Ghat MPS	tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD STP at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
2	Sadar Bazar Drain	2.00	Y		
3	Raja Bazar Drain	0.10	Y		
4	TeliyaBag Drain	18.00	Y		
5	Nakkhghat Drain	0.10	Y		
6	Narokhar Drain	7.50	Partially Tapped	120 MLD STP Goithaha	For interim measure, tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD at Dinapur, however the flow will ultimately reach at Goithaha 120 MLD STP , once entire Trans-Varuna is covered by sewerage network. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
7	Nai Basti Drain	3.00	Y		
8	Sarang Talab Drain	1.50	Y	140 MLD STP Dinapur / 120 MLD STP Goithaha	
9	Central Jail Drain	6.50	Y		
10	Orderly Bazar Drain	7.00	Y		
11	Chamrautha Drain	1.50	N		
12	Khajuri Colony Drain	1.50	Y		
13	Banaras Drain No.-5	1.00	Y		
14	Hukulganj Drain	2.50	Y		
15	Durga Drain	37.00	N		


Executive Engineer,
Construction Division-1,
U. P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi


परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उत्प्रेक्षित नगर (ग्रामीण), वाराणसी

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

पत्रांक : 1390 / प्र०नि०बो० / 2023 24

दिनांक 04 जुलाई, 2023

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अनुपालन में दिनांक 01.07.2023 को समीक्षा बैठक की गयी। उक्त बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा संज्ञान में लाया गया कि वरुणा नदी के दोनों किनारे कुल 13 नाले हैं। उक्त नालों की टैपिंग का कार्य सिंचाई विभाग, बंधी प्रखण्ड, वाराणसी की कार्यदायी संस्था यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा किया गया है। लगभग सभी नालों के माध्यम से आंशिक अनट्रीटेड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं।

अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल विभाग (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरुणा कारिडोर में निर्मित इण्टरसेप्टिंग बैम्बर में लगे हुए स्क्रीन में ठोस अपशिष्ट एकत्रित होने के कारण पूरी तरह से चोक है तथा सीवेज प्रवेश नहीं हो रहा है। कई इण्टरसेप्टिंग चैम्बर क्षतिग्रस्त हैं तथा मेन्टीनेंस नहीं हो रहा है। उक्त के कारण समय-समय पर घटनायें घटित हो रही हैं। दिनांक 22.02.2023 को विदायत नगर, नक्खी घाट क्षेत्र में वरुणा कारिडोर के पास एक बच्ची की मृत्यु भी हुई थी। अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि वरुणा नदी के आन्तरिक सेक्शन में सुधार एवं इसके दोनों किनारों पर सुदृढीकरण तथा शौ-दर्धीकरण की परियोजना तैयार की गयी थी, जिसके अन्तर्गत वरुणा नदी के चैनेलाईजेशन, दोनों किनारों को Geo-Textile एवं Soil stabilization करते हुए सुदृढीकरण एवं ब्रॉस टर्फिंग का कार्य करते हुए फुटपाथ बनाने, रेलिंग लगाने एवं लाइटिंग का कार्य सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकटे घाट बनाने का कार्य तथा दोनों किनारों के गन्दे नालों को HDPE Lined पाईप द्वारा वरुणा रेगुलेटर के अपस्ट्रीम में पम्पिंग स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य भी सम्मिलित है। वाराणसी शहर में वरुणा नदी में स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने हेतु ज्ञानपुर पम्प कैनाल से ज्ञानपुर

मुख्य नहर पर निर्मित कनेहरी स्केप के माध्यम से मोरवा ड्रेन के द्वारा वरुणा नदी में डाले जाने का कार्य भी सम्मिलित है। उक्त कार्य के लिये वर्ष 2016-17 में रु० 20 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई थी। परियोजना के कार्यों को कराने के लिये सिंचाई विभाग एवं यू०पी०पी०सी०एल० के साथ एम०ओ०यू० सं० 01/एस.ई./2016-17, दिनांक 11.05.2016 किया गया था। परियोजना के प्रारम्भ होने की तिथि 01.07.2016 एवं परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 31.07.2021 थी। कार्यदायी संस्था यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) यूनिट-3 वाराणसी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्राविधानित सभी कार्य निर्धारित तिथि 31.07.2021 तक पूर्ण कर लिये गये थे।

अधिकांश अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आर्टीम के रूप में स्वीकृत सीवेज पाइप लाइन को सीवेज पम्पिंग स्टेशन से जोड़ने का कार्य भी हो चुका है, जिसके अन्तर्गत वरुणा नदी में मिलने वाले 13 अदृश नालों को टेप कर चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन में मिलाया गया है, जिसके द्वारा सीवेज पम्प कर दीनापुर एस०टी०पी० में शोधन हेतु भेजा जाता है। वरुणा नदी के चैनेलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना के अन्तर्गत कराया गये कार्यों को नगर निगम वाराणसी को उ० प्र० के शासन के शासनादेश सं० 297/2021/2345/21-27-सि०-4-49 (डब्ल्यू) परियोजना/2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित किया जाना था किन्तु अभी तक नगर निगम को हस्तान्तरण नहीं किया गया है। कार्यदायी संस्था यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा निर्माण इकाई की परियोजना का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड को दिनांक 30.03.2022 को किया गया है।

अधिकांश अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि नालों की टैपिंग के अनुरक्षण हेतु विभागीय धनराशि की मांग की गयी है। धनराशि अवमुक्त होने पर मेन्टिनेन्स का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। तदोपरान्त नगर निगम को हैण्डओवर कर दिया जायेगा। समीक्षा के दौरान अधिकांश अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि नालों के टैपिंग के सम्बन्ध में की गई डिजाइन उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसके कारण नालों के टैपिंग में कमियों के कारण अशुद्धीकृत सीवेज की आंशिक मात्रा वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है तथा सीवेज मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की यह स्थिति विगत कई माहों से बनी है। नालों की टैपिंग डिजाइन के अप्रूवल के सम्बन्ध में यू०पी०पी०सी०एल० के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि डिजाइन का अप्रूवल सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। तत्सम्बन्ध में अधिकांश अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डिजाइन आई०आई०टी०, बी०एच०यू०, वाराणसी से वैट किया गया है। अवगत कराया है कि वरुणा नदी के बहाली एवं कायाकल्प का कार्य मा० एन०जी०टी० के आदेश से आरम्भित है। मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० नं० 128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स) में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अन्तर्गत वरुणा नदी एवं अरसी नदी के बहाली एवं कायाकल्प का कार्य किया जाना है। वरुणा नदी के किनारे स्थित नालों को पूरी तरह से टैप नहीं होने के कारण वरुणा नदी

की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वरुणा नदी के किनारे कराई गयी नालों की टैपिंग कार्य जनोपयोगी सिद्धकर नहीं हो रहा है।

सिंचाई विभाग एवं उ० प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) द्वारा नाले की सफाई कर कियाशील (functional) कराया था। नाला की सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्डओवर गयी हो पा रहा है। सफाई हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है, उसके सम्बंध में दोनों विभागों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजाइन फाल्ट के सम्बंध में भी स्पष्ट आख्या नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण शासन स्तर से ही निस्तारण किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस प्रकरण का निस्तारण शासन स्तर से कराया जाय और डिजाइन फाल्ट एवं वाराणसी नगर निगम को हैण्डओवर करने के सम्बंध में जाँच हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(एस० राजलिंगम)
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

पृ०सं० एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय/ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, वाराणसी।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

कार्यालय-नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी।

पत्रांक I/2220/विनियोजन/23-24
न०आ०-एस०सी०/2023-24 दिनांक-जनवरी, 03, 2024

(आदेश)

ओरिजिनल अप्लीकेशन नं० 483/2022, श्री आशीष कुमार मिश्रा एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू०पी०, अप्लीकेशन संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अप्लीकेशन संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के क्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में जिलाधिकारी महोदय एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश में सीवेज, ठोस अपशिष्ट के निस्तारण, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण के अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण, वरुणा नदी के नालो के टैपिंग, बाढ़ जोन क्षेत्र का निर्धारण एवं अतिक्रमण, बायोमेडिकल अपशिष्ट एवं खनन के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, जिसमें विभिन्न विभाग यथा जिला प्रशासन, वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सिंचाई विभाग, जलकल, जल निगम, विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं खनन विभाग द्वारा आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

प्रकरण के अतिमहत्ता के दृष्टिगत जांच कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी। (अध्यक्ष)
2. सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी।
4. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), नगर निगम, वाराणसी।
5. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी।
6. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम।(सचिव)
7. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जलनिगम (शहरी), भगवानपुर, वाराणसी।
8. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।

प्रकरण में राजस्व से जुड़े विन्दुओं पर जिसमें नदी सीमा काचिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन सम्मिलित है। उक्त कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, तथा नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेंट के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम (शहरी) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उपरोक्त समिति रिपोर्ट दिनांक-16.01.2024 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(अक्षय वर्मा),
नगर आयुक्त।
९२

I/2220/केन्द्रीय/23-24 2

पत्रांक ~~10810-एस0टी0/2023-24~~ दिनांक-जनवरी, 03, 2024

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने हेतु सानुरोध प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को अपने स्तर से निर्देशित किये जाने हेतु सानुरोध प्रेषित।
4. सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी (राजस्व) नगर निगम, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि सभी संबंधित से समन्वय बनाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
7. अपर नगर आयुक्त (आर), नगर निगम, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण में प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. उपजिलाधिकारी सदर, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये प्रकरण में समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
10. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम (नगरीय), भगवानपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अक्षत वर्मा),

नगर आयुक्त।

etc

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी

पत्रांक - 639/अ० न० 380 (R) / 2023-24

दिनांक- 29-1-2024

अधिसासी अभियन्ता

बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग,
वाराणसी।

कार्यालय आदेश संख्या- 1/2220/केन्द्रीय/23-24 दिनांक- 03 जनवरी, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-483/2022, श्री आशीष कुमार मिश्रा एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू०पी०, अप्लीकेशन संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अप्लीकेशन संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के क्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के क्रम में आपको नदी सीमा का चिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने एवं उक्त सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक-16.01.2024 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु अभी तक सम्बन्धित प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नदी सीमा का चिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अक्षत वर्मा)

o/c नगर आयुक्त

पु.सं.- 639/अ० न० 380 (R) / 2023-24

दिनांक- 29-01-2024

प्रतिलिपि-1 जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय/ग्रामीण), उ०प्र०जल निगम, वाराणसी।

3 अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।

4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

(अक्षत वर्मा)

o/c नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी

पत्रांक - 640/अप्र-नगर/आप्र(R)/2023-24

दिनांक- 29-1-2024

अधिसासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी)
निर्माण खण्ड (प्रथम), भगवानपुर,
वाराणसी।

कार्यालय आदेश संख्या- 1/2220/केन्द्रीय/23-24 दिनांक- 03 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-483/2022, श्री आशीष कुमार मिश्रा एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू०पी०, अप्लीकेशन संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अप्लीकेशन संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के क्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के क्रम में आपको नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेन्ट के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने एवं उक्त सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक-16.01.2024 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु अभी तक सम्बन्धित प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेन्ट के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


 (अक्षत वर्मा)
 0/c नगर आयुक्त

पृ.सं.- 640/अप्र-नगर/आप्र(R)/2023-24

दिनांक- 29-1-2024

प्रतिलिपि-1-जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय/ग्रामीण), उ०प्र०जल निगम, वाराणसी।

3-अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।

4-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।


 (अक्षत वर्मा)
 0/c नगर आयुक्त
 नगर निगम, वाराणसी

कार्यालय-जिलाधिकारी, वाराणसी

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०एन० नं० 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 तथा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 03.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 1342/ओ०ए० नं० 128/2021/2022-23, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा निम्नलिखित टीम का गठन किया गया था :-

1. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
3. सम्बंधित उपजिलाधिकारी/क्षेत्रीय अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।

उपरोक्त नामित अधिकांशगण को निर्देशित किया गया कि वरुणा नदी एवं असि नदी पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही 01 माह के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की विस्तृत आख्या फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर किये गये अतिक्रमण का सर्वेक्षणकर 15 दिन के अन्दर चिन्हांकन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाया गया कि मा० एन०जी०टी० में ओ०एन० नं० 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के सम्बंध में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत की गयी है तथा प्रश्नगत प्रकरण में असि नदी एवं वरुणा नदी पर हुए अतिक्रमण के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी के अवैध अतिक्रमण का सीमांकन किये जाने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असि नदी एवं वरुणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
3. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा फ्लड प्लेन जोन का पिलर डिग्राफेशन किया जाये।
4. उपरोक्त रागरत कार्यों की समीक्षा अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी द्वारा की जाये तथा सभी सम्बंधित विभागों से समन्वय कराते हुए कार्यों को सरासरी पूर्ण कराया जाये।
उक्त आदेश का समन्वय करवाई से सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को 05 दिवस में प्रस्तुत की जाये। ध्यान दें कि उक्त

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने तथा गा. एन.सी.टी. द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने तथा नगर निगम विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

(एस० राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

पत्रांक :- 2179/NGTOANo.367/2022/2023-24

दिनांक : 08-02-2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपप्रमुख, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
5. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी।
6. सम्बंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
7. अधिसारी अभियंता, वन्दी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।


(एस० राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

जननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा गंगा नदी के सहायक नदियों यथा वरुणा एवं असी नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु टीम का गठन किया गया था। जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश सं० 2179/एन.जी.टी.ओ.ए.नं० 387/2022/2023-24 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा नगर निगम से संबंधित निम्न आदेश दिये गये:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असी नदी एवं वरुणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी की टीम द्वारा असी नदी पर हुए अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर चिन्हांकन किया गया जिसका विवरण/आख्या निम्नवत है:-

असी नदी/नाला, जो कई राजस्व ग्रामों से होकर गुजरती है जिसकी स्थलीय जाँच आख्या निम्नवत है:-


क्र० सं०	ग्राम का नाम	स्थलीय आख्या
1	कधनपुर	आराजी सं०-358 से पानी का बहाव है, भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जो राजस्व अभिलेख में सड़क के नाम अंकित है जिससे पानी बह रहा है तथा राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।
2	धितहपुर	आराजी सं०-17/2, नवइयत नाली के अंश भाग पर नाले के ऊपर स्लेब डालकर अतिक्रमण किया गया है, भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जो राजस्व अभिलेख में नाली के नाम अंकित है जिससे पानी बह रहा है। मात्र एक अतिक्रमण है अन्य कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।
		
3	कमनीतपुर	आराजी नम्बर 1 से होकर पानी बह रहा है। जक्त 1/1 रकबा 0.3520हे० अभिलेख में नाला खाते में तथा आराजी सं०-मि.16 रकबा 0.162हे० बंजर के खाते में अंकित है, जिसपर पानी बह रहा है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है राजस्व अभिलेख में नाली/बंजर के नाम अंकित है। राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।
4	करोदी	आराजी नम्बर 4 व 44 से पानी प्रवाहित हो रहा है जो राजस्व अभिलेख में नाला के नाम अंकित है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।

आराजी सं०-17/2
नवइयत नाली के अंश भाग पर
नाले के ऊपर स्लेब डालकर
अतिक्रमण किया गया है
महसील-सदर
वाराणसी


दिनांक 08.02.24
08.02.24
राजस्व अभिलेख के अनुसार
महसील सदर वाराणसी

फोटोग्राफ संलग्न है

5 सरायनन्दन आराजी नम्बर 495, 505 अभिलेख में नाली के खाते की भूमि है जिसपर पानी का बहाव की चौड़ाई अधिकांश कही 2 मीटर है तो कही 3 मीटर है तो कही 4 मीटर है। राजस्व भूचित्र के अनुसार आराजी सं०-495 के अंश भाग पर लगभग 3 फीट शौचालय, झबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। नाला के तरफ जमीन कक्ष/मशीन कक्ष बनाकर अतिक्रमण किया गया है। सनराईज स्कूल के प्रबंधक द्वारा नाले के ऊपर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है। रोहित नगर कालोनी में चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिससे पानी बह रहा है मात्र चार अतिक्रमण है अन्य कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।



26/02/24
 26/02/24
 6/02/24
 राजस्व निरीक्षक शहर राजस्व निरीक्षक चंडीगढ़
 जिलाधिकारी तहसील सदर धाराणरी तहसील सदर काराणरी
 विनायक कुमार
 26/02/24
 26/02/24
 26/02/24

6	गदौनी	<p>आराजी नम्बर 2417, 2490 व आ०नं०-3283 से होकर बहाव है। आराजी नम्बर 2490 व 3283 वर्तमान अभिलेख नाम जेड०ए०के अन्तर्गत जम्मन 15 (1) नाला खाते की भूमि है। आराजी सं०-2490 के अंश भाग पर चहारदियारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। तथा आराजी नम्बर 2417 रकबा 0.3240हे० भूमि जेड ए में नाला खाते की भूमि है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है मात्र एक अतिक्रमण है अन्य पर कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।</p>
		
7	नगवा	<p>आ०नं०-192, 193, 194 व 195 व 196 तथा आ०नं०-236, 244, 245 से होकर पानी गुजरता है। जिसमें आ०नं०-193, 195 व 196 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल खातेदारों के नाम अंकित है आराजी नम्बर 192 रकबा 0.061हे० व 194 में रकबा 0.061हे० भूमि नाली के खाते में अंकित है तथा आराजी सं०-192 का शेष रकबा एवं 194 का शेष रकबा खातेदारों के नाम से अंकित है। आराजी सं०-236, 244, 245 से होकर वर्तमान में अस्सी नदी/नाला रविदास पार्क के दक्षिण तरफ से होकर गंगा नदी में मिल जाती है भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।</p>
8	गदौनी	<p>आराजी नम्बर 3300, 3303, 3304 3314 से होकर गुजरता है। वर्तमान अभिलेख के अनुसार यह सभी आराजियां विभिन्न खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।</p>

08/02/24

राजस्व निरीक्षक, विभाग 3, 5
तहसील-सदर वाराणसी

राजस्व निरीक्षक शहर
तहसील सदर वाराणसी

राजस्व निरीक्षक शहर
तहसील सदर वाराणसी

किं० कुमार

08/02/24

राजस्व निरीक्षक चौदपुर
तहसील सदर वाराणसी



जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु सं० 2 में निम्न निर्देश दिये गये:-

- उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।

जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु सं0 2 में दिये गये निर्देश के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर की टीम द्वारा चिन्हांकित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम, वाराणसी द्वारा दिनांक 08.02.2024 को की गयी, जिसकी फोटोमय आख्या निम्नवत है:-



क्र.	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
1	 <p>सरायनन्दन आराजी नम्बर 495, 505 राजस्व भूचित्र के अनुसार आराजी सं0-495 के अंश भाग पर लगभग 3 फीट शौचालय, चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया था।</p>	 <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।</p>

का

SP/...
...
...

...

...



क्र	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
2	 <p>सरायनन्दन आराजी सं0-495 के अंश भाग पर सनराईज स्कूल के प्रबन्धक द्वारा नाले के ऊपर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है।</p>	 <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।</p>
3	 <p>चितईपुर, आराजी सं0-17/2, नवईयत नाली के अंश भाग पर नाले के ऊपर स्लैब डालकर अतिक्रमण किया गया था।</p>	 <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ कर भवन का अंश भाग तोड़ दिया गया है। भवन अत्यंत पुराना है तथा सुरक्षा के दृष्टिगत भवन को तोड़ने की कार्यवाही स्वयं भवन स्वामी द्वारा वर्तमान में की जा रही है।</p>

15

(Handwritten signature)
 (मिने-3 यलर)

150

A


क्र.	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
4	 <p>सरायनन्दन में रोहित नगर कालोनी में चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है।</p>	 <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 (दिनांक 4/1/24)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

क्र.	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
5	 <p>भदौनी आराजी सं०-2490 के अंश भाग पर चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया था।</p>	 <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण चहारदिवारी को तोड़कर हटा दिया गया है।</p>


आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

(Handwritten signature)
रंजित शर्मा (स.अ.सि.)

(Handwritten signature)
(स.अ.सि.)

(Handwritten signature)
कर्नल संदीप
प्रभारी प्रवर्तन दल
नगर निगम, वाराणसी

(Handwritten signature)
प्रहायक नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी



सागरी घाट (Assi interceptor Sewer pipeline)

अभिषेक सिंह
 अवर अभियन्ता (मु०)
 नलकल विभाग, नगर निगम
 वाराणसी



सिमेंट पाइप लाइन



सिमेंट पाइप (ASSI interceptor sewer pipe line)






वासगासी, उत्तर प्रदेश, भारत
 20A-141, तुलसी बाजार बस स्टैंड, बस स्टैंड, वासगासी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत
 Lat 26.284056°
 Long 82.985523°
 03/02/24 09:02 AM GMT +05:30



वासगासी, उत्तर प्रदेश, भारत
 B32/298-D-1A, तुलसी बाजार बस स्टैंड, बस स्टैंड, वासगासी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत
 Lat 26.284009°
 Long 82.985577°
 03/02/24 09:00 AM GMT +05:30



वासगासी, उत्तर प्रदेश, भारत
 22A-141, तुलसी बाजार बस स्टैंड, बस स्टैंड, वासगासी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत
 Lat 26.283772°
 Long 82.985579°
 03/02/24 09:18 AM GMT +05:30




वासगासी, उत्तर प्रदेश, भारत
 20A-141, तुलसी बाजार बस स्टैंड, बस स्टैंड, वासगासी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत
 Lat 26.284034°
 Long 82.985583°
 03/02/24 09:06 AM GMT +05:30

ASSI DRAIN

वासगासी

शिवद्वारा चार



शिवद्वारा चार

अभिषेक सिंह
 अवर अभियन्ता (ग्रुप)
 नगरपाल विभाग, नगर निगम
 वाराणसी

